



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936

No. 387]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

**सा.का.नि. 537(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 88 की उप-धारा (1), धारा 88 की उप-धारा (4), धारा 89 की उप-धारा (1), धारा 89 की उप-धारा (2), धारा 89 की उप-धारा (6), धारा 91 की उप-धारा (1), धारा 92 की उप-धारा (2), धारा 92 की उप-धारा (3), धारा 93, धारा 94 की उप-धारा (1), धारा 100 की उप-धारा (4), धारा 101, 102, 105, 108, धारा 109 की उप-धारा (5), धारा 110, धारा 112, धारा 113, धारा 114 की उप-धारा (2), धारा 115, धारा 117 की उप-धारा (1), धारा 118 की उप-धारा (1), धारा 119 की उप-धारा (2), धारा 120, धारा 121 की उप-धारा (1), और धारा 186 की उप-धारा (3), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।  
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 में,
  - (i) नियम 9 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—  
“परंतु यह कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी मूल फंड अथवा उद्यम पूंजी निधि अथवा ऐसी अन्य निधि की स्थापना के लिए बनाए गए किसी ट्रस्ट के संबंध में लागू नहीं होगी”।
  - (ii) नियम 13 में,—  
(क) “चाहे यह वृद्धि या कमी मूल्य में हुई हो या मात्रा में हुई हो” शब्दों का लोप किया जाएगा;  
(ख) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।
  - (iii) नियम 23, के उपनियम (1) के हिंदी पाठ में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है;
  - (iv) नियम 27 के उपनियम (1) में और स्पष्टीकरण में “करेगी” और “किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “कर सकती है” और “किया जा सकता है” शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं. 01/34/2013-सीएल-V-भाग I]  
अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:**—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 2601(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 415(अ), तारीख 23 जून, 2014 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2014

**G.S.R. 537(E).**—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 88, sub-section (4) of section 88, sub-section (1) of section 89, sub-section (2) of section 89, sub-section (6) of section 89, sub-section (1) of section 91, sub-section (2) of section 92, sub-section (3) of section 92, section 93, sub-section (1) of section 94, sub-section (4) of section 100, Sections 101, 102, 105, 108, sub-section (5) of Section 109, Sections 110, 112, 113 sub-section (2) of Section 114, section 115, sub-section (1) of section 117, sub-section (1) of section 118, sub-section (2) of section 119, section 120 and sub-section (1) of section 121 and sub-section (3) of section 186, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Companies (Management and Administration) Second Amendment Rules, 2014.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Management and Administration) Rules, 2014,—
  - (i) in rule 9, after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted namely:—"Provided that nothing contained in this rule shall apply in relation to a trust which is created, to set up a Mutual Fund or Venture Capital Fund or such other fund as may be approved by the Securities and Exchange Board of India".
  - (ii) in rule 13,-
    - (a) the words "either value or volume of the shares" shall be omitted;
    - (b) the Explanation shall be omitted.
  - (iii) in rule 23, in sub-rule (1), for the words "not less than five lakh rupees", the words "not more than five lakh rupees" shall be substituted;
  - (iv) in rule 27, in sub-rule (1) and in the Explanation, for the word "shall", the word "may" shall be substituted.

[F. No. 01/34/2013-CL-V-Part-I]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

**Note:**—The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 260(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* No. G.S.R. 415(E), dated the 23rd June, 2014.